

28²/₁₉

वकील उमरपस उपाय वृद्ध उमरपस विभाजन
स्कीम खुली गई। वकील उमरपस ने विभाजन
स्कीम पर सहमति प्रस्तुत की। बरसीलखंड
वजीवपुर से प्राप्त विभाजन स्कीम अनुसार
वाह डिब्बी दिया जाता है। वास्तु आदेश
पत्रावली 5.3.19 को पेश हो

5.3.19.

पत्रावली पेश हुयी। सहमति से विभाजन
स्कीम अनुसार राजस्व धामिलेख व
नक्शा ड्रेस में कुवस्ती दिया जावे।
दावा पचा डिब्बी किया जाता है। निर्णय
पुथक से लिखवाया जाकर धामिल पत्रावली
किया गया। पत्रावली कैम्प्लेक्सुमार की
आकर वादाकमील हफ्तर हाकिल हो

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मां. स्टेट
बंगपुर सिटी (सोया)


12-4-19

पत्रावली लखन आ गई। उमरपस विभाजन के निर्णय
दिनांक 5-3-2019 में निर्णय खोलने की
दिनांक कंडित होने से यह गई है। इसी
कारण उमरपस की वकीलगरी डिब्बी में
भी डिब्बी जारी करने की दिनांक कंडित
होने से यह गई है। यह निर्णय
अनुसंधान कमीट्टी पत्रावली की आदेशिका
के अनुसार निर्णय दिनांक 5/3/19 को
हुआ था। निर्णय में एक डिब्बी
के निर्णय की दिनांक कंडित होने

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जारी

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

स. स. विनियम व डिडी पर कोर्ट
 प्रभाव नहीं पड़ता है। कतः स. स. कार्यपालक
 के विनियम दिनांक 5-3-19 में स. स. विनियम
 के प्रच्छेद 104 वीं अंतिम लाइन में
 अंकित शब्द विनियम का प्रविनोदने
 पश्चात् 5-3-2019 अंकित दिना
 लोके इसी अंश पर डिडी के भी अंकन
 दिया जावे 

सहायक कलेक्टर एवं
 कार्यपालक मजिस्ट्रेट
 गंगापूर सिटी